उत्तराखंड उच्च न्यायालय

25 जनवरी, 2021 को परमजीत सिंह सागर बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य

(निर्णय सुरक्षित)

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल में

आपराधिक विविध. 2019 का आवेदन संख्या 403

परमजीत सिंह सागर .....निवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

साथ

आपराधिक विविध. 2018 का आवेदन क्रमांक 2039

सुरिंदर कौर .....आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

वर्तमान: श्री वीके कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कांति राम शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त,
आवेदकों के लिए वकील.
श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, उप. सुश्री शिवांगी गंगवार के साथ एजी,
राज्य के लिए संक्षिप्त धारक.
श्री राकेश थपलियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ललित शर्मा द्वारा सहायता प्रदान की गई।
निजी प्रतिवादी के लिए वकील।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

ये दोनों आपराधिक विविध आवेदन 2018 के आपराधिक मामले संख्या 5910 "राज्य बनाम परमजीत सागर और अन्य" में आईपीसी धारा 323 , 498-ए , 420 , 467 , 468 , 471 और 120- के तहत तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून की अदालत ls पारित आदेश दिनांक 24.11.2018 से उत्पन्न हुए हैं।

2. वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी नंबर 2 - नीतू कैंथ ने अपने पति परमजीत सिंह सागर, ससुर के खिलाफ पुलिस स्टेशन, राजपुर, जिला देहरादून में एफआईआर संख्या 0149 दिनांक 31.12.2017 दर्ज कराई थी। कानून मंजीत सिंह और सास श्रीमती। सुरेंद्र कौर पर धारा 498-ए और 323 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 147, 2017 दर्ज किया गया है। आईपीसी में इस दावे के साथ कि उसकी शादी 17.10.2004 को परमजीत सिंह सागर के साथ हुई थी और उक्त विवाह से उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी उम्र लगभग आठ साल है। शादी के बाद उसकी सास ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके बाद, परिवार और उसकी सास के बीच एक समझौता हुआ, जो अब कॉलेज परिसर में रहने लगी है, जिसके बाद, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 अपने पति के साथ सिनोला स्थित एक घर में रहने लगी। उसके ससुर मुख्यतः शहर से बाहर रहते हैं लेकिन अक्सर आते रहते हैं। प्रतिवादी नंबर 2 का पति अपनी सास पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। उसकी सास आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है. उसकी सास और उसके सगे भाई और रिश्तेदार के बीच आपराधिक और दीवानी प्रकृति के कई मुकदमे लंबित हैं। कॉलेज छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला उसकी सास पर भी चल रहा है। उनके ससुर "ज्ञानी इंद्र सिंह कॉलेज" के अध्यक्ष हैं, जिसमें उनकी सास सचिव हैं, उनके पति कोषाध्यक्ष/निदेशक हैं और शिकायतकर्ता संयुक्त सचिव/प्रबंध निदेशक हैं। प्रतिवादी नंबर 2 ने आगे कहा कि वह पिछले दो वर्षों से ठीक महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि वह "गर्भाशय फ़ेबेरॉयड" और "स्त्री रोग" विकार से पीड़ित है। उसकी सास और पति का व्यवहार क्रूर हो गया है जिससे उसका व्यावसायिक कार्य बाधित हो गया है। प्रतिवादी नंबर 2 के पति, ससुर और सास उस पर नियमित रूप से टिप्पणी करते हैं और उसके चरित्र पर गलत व्यवहार करते हैं और उसका अपमान करते हैं। वह आगे बताती है कि उसके पति ने उसे धमकी दी कि वह उसे और उसके परिवार को झूठे मामले में फंसा देगा। उन्होंने कोरे कागजों पर प्रतिवादी नंबर 2 के हस्ताक्षर भी ले लिए। पिता प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने ससुर और सास को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्हें उनकी सहेली ने बताया कि उनके पति मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में भर्ती हैं।

3. इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई, मामले के जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य के बयान दर्ज किए गए। जांच अधिकारी ने मामले में अपनी जांच पूरी करने के बाद fnukad 04.10-2018. को आईपीसी की धारा 323 , 498-ए , 467 , 468 , 471 , 120-बी और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. यहां यह बताया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रति शपथ पत्र के साथ दिनांक 06.08.2017 की एक मेडिकल रिपोर्ट दायर की है, जिसमें निम्नलिखित चोटें दिखाई गई हैं:

"1. बाएं हाथ की पीठ पर घर्षण 0.5 सेमी x 0.5 सेमी, पीठ पर छोटी उंगली (अस्पष्ट)।

2. बाएं हाथ की पीठ पर छोटी उंगली के ठीक नीचे 0.5 सेमी x 0.5 सेमी घर्षण (अस्पष्ट)

3. चोट लाल रंग में 2 सेमी x 1.5 सेमी बायीं बांह (अस्पष्ट)

4. दाहिनी बांह पर 1 सेमी x 1 सेमी (अस्पष्ट) चोट, चोट संख्या 3 से 5 इंच नीचे।

5. पूरे पेट और मूल चोट की जगह पर दर्द की शिकायत.

6. बाएं हाथ की उंगली पर 1 सेमी लंबाई का फटा हुआ घाव (अस्पष्ट)"

5. विद्वान मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 323 , 420 , 498-ए , 467 , 468 , 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया । इसलिए आवेदकों द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दिनांक 24.11.2018 के सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान आवेदन दायर किए गए हैं।

6. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया।

7. आवेदकों के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वीके कोहली ने आवेदकों की ओर से जोरदार तर्क दिया कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 और परमजीत सिंह सागर के बीच विवाह 17.10.2004 को हुआ था, जिसके लिए पहली सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.12.2004 को दर्ज करने से पहले। 2017, शिकायतकर्ता के साथ कोई क्रूरता की घटना नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदकों को झूठा फंसाने के गुप्त उद्देश्य से एफआईआर दर्ज की गई है। उनका यह भी कहना है कि एफआईआर में साधारण मारपीट और दहेज की मांग का आरोप था। हालाँकि, एफआईआर में इस बात की कोई फुसफुसाहट नहीं है कि दहेज की मांग की गई थी; कि आवेदकों ने दहेज की मांग को लेकर परिवादिया के साथ क्रूरता की।

8. शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 का यह स्वीकृत मामला है कि उसकी सास अलग रहती है, और उसके ससुर शहर से बाहर रहते हैं, हालांकि शिकायतकर्ता के अनुसार वह नियमित रूप से घर आते हैं। जहां तक पति पर लगे आरोपों की बात है तो पति परमजीत सिंह सागर पर कोई खास आरोप नहीं है। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 का कहना है कि उसका पति आत्महत्या करने के लिए गोलियाँ खाता है। आगे यह भी आरोप है कि उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए गए।

9. आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना था कि शिकायतकर्ता/पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498-ए और 323 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी , लेकिन जांच अधिकारी ने मामले का दायरा बढ़ा दिया है क्योंकि उन्होंने धारा 420 , 467 जोड़ दी है । 468 , 471 और 120-बीआईपीसी का, जिसका एफआईआर की सामग्री से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जांच अधिकारी ने मामले की जांच करने के अपने अधिकार का उल्लंघन किया, क्योंकि सोसायटी के जाली दस्तावेजों को तैयार करने का वैवाहिक विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जांच अधिकारी के पास दायरा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था, कि आवेदकों ने संस्थान/कॉलेज से शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 के इस्तीफे से संबंधित जाली दस्तावेज हासिल किए हैं। आवेदक के विद्वान वरिष्ठ वकील ने फखरुद्दीन अहमद बनाम के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उत्तरांचल राज्य और एक अन्य रिपोर्ट 2008 AIR SCW 5881 में दी गई,

10. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी की राय से बाध्य नहीं है और वह इस संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करने में सक्षम है, भले ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जो भी विचार व्यक्त किया हो और यह तय कर सके कि कोई अपराध हुआ है या नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि संहिता की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट का उद्देश्यजिसमें पुलिस द्वारा खोजे गए या खोजे गए तथ्यों के साथ-साथ पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी शामिल होंगे, मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करने में सक्षम बनाना होगा कि क्या रिपोर्ट और उसमें संदर्भित सामग्री के आधार पर संज्ञान का मामला बनता है। बाहर या नहीं.

15. फिर भी, यह अच्छी तरह से तय है कि मजिस्ट्रेट के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने किसी अपराध का संज्ञान लिया है, यह जरूरी है कि उसने आरोपों पर ध्यान दिया हो और शिकायत या पुलिस में लगाए गए आरोपों पर अपना दिमाग लगाया हो। रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी, जैसा भी मामला हो, और उसके साथ दर्ज की गई सामग्री। इस बात पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है कि ऐसा तभी होता है जब मजिस्ट्रेट अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और संतुष्ट होता है कि आरोप साबित होने पर अपराध होगा और कथित अपराधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का फैसला करता है। यह सकारात्मक रूप से कहा जा सकता है कि उसने अपराध का संज्ञान लिया है। संज्ञान अपराध के संबंध में है, अपराधी के संबंध में नहीं।"

10. विद्वान वरिष्ठ वकील ने एआईआर 1992 एससी 1815 में रिपोर्ट किए गए पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि "प्रक्रिया जारी करने से पहले प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। आगे यह माना गया कि प्रक्रिया यांत्रिक रूप से व्यक्तियों को परेशान करने के लिए प्रतिशोध के रूप में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जारी की गई थी और शिकायत रद्द कर दी गई थी।"

11. निजी प्रतिवादी/शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश थपलियाल का कहना है कि आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ "मारपिट" किया और दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित भी किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि आवेदकों ने कॉलेज से प्रतिवादी नंबर 2 के इस्तीफे के संबंध में जाली दस्तावेज खरीदे थे, इसलिए जांच अधिकारी ने उस संबंध में मामले की जांच में कोई अवैधता नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जब शिकायतकर्ता को पता चला कि आवेदकों ने कॉलेज से उसका इस्तीफा फर्जी बना दिया है, तो जांच अधिकारी ने इस संबंध में भी जांच की है।

उन्होंने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 420 , 467 , 468 , 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध उसी घटना से संबंधित हैं और एफआईआर की निरंतरता में हैं। शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने (2010) 12 एससीसी 254 में रिपोर्ट किए गए बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया और कहा कि जांच अधिकारी के पास बाद की घटनाओं

की जांच करने का पूरा अधिकार था। जो आवेदकों के हाथों हुआ। फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां दिए गए हैं: -

"14. टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य में इस न्यायालय ने एक मामले पर विचार किया जिसमें एक ही संज्ञेय अपराध और एक ही घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की गई थीं और न्यायालय ने माना था कि (एससीसीपी.181डी-ई) "कोई नहीं हो सकता दूसरी एफआईआर और एक ही संज्ञेय अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली एक ही घटना के संबंध में प्रत्येक बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं।"

जांच एजेंसी को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी के आधार पर ही आगे बढ़ना होता है, जिसे सबसे पहले प्रभारी अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद सीआरपीसी कहा जाएगा) की धारा 158 के तहत पुलिस स्टेशन डायरी में दर्ज किया जाता है और सभी बाद की अन्य जानकारी धारा 162 सीआरपीसी, के अंतर्गत कवर की जाएगी इस कारण से कि यह जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह न केवल एफआईआर में संज्ञेय अपराध रिपोर्ट की जांच करे, बल्कि उसी लेनदेन या उसी घटना के दौरान किए गए अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करे और जांच अधिकारी का कर्तव्य हैA धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक या अधिक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी । धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी , यदि जांच अधिकारी को उसी घटना से संबंधित कोई और जानकारी मिलती है, तो वह आगे की जांच कर सकता है, लेकिन यह वांछनीय है कि उसे अदालत की अनुमति लेनी चाहिए और धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की रिपोर्ट या रिपोर्ट के साथ आगे के साक्ष्य, यदि कोई हो, को अग्रेषित करना चाहिए। सीआरपीसी की योजना के अनुरूप यदि अधिकारी को एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों से जुड़ी एक ही घटना के संबंध में एक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है तो ऐसी जानकारी को उचित रूप से एफआईआर के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह वास्तव में दूसरी एफआईआर होगhA

12. निजी प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील में vizHkkoh है कि D;ksafd आवेदकों ने कॉलेज/सोसाइटी से शिकायतकर्ता के इस्तीफे से संबंधित जाली दस्तावेज खरीदे हैं, जो जाली पाए गए हैं, इसमें कोई दम नहीं है। निजी प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील गलत है।

13. पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यान देने से पहले, आईपीसी की धारा 323 और 498-ए को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा , जो इस प्रकार है: -

" धारा 323। स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा। - जो कोई भी, धारा 334 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर , स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है। एक हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।

धारा 498ए . किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है।--जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजन के लिए, "क्रूरता" का अर्थ है--

(ए) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सके या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो; या

(बी) महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से होता है या उसके या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे पूरा करने में विफलता के कारण होता है। ऐसी मांग।"

14. एफआईआर में दिए गए कथनों के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उसकी सास ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। सास, ससुर और पति के खिलाफ आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और उनमें से प्रत्येक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों पर दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में दिए गए कथनों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने खुद कहा है कि उसके पति ने कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर ले लिए। यदि उसके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर लिए गए थे, तो उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। हस्ताक्षर का उद्देश्य प्रतिवादी संख्या 2 का संस्थान से इस्तीफा है।

15. एफआईआर के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप/आरोप केवल मानसिक और शारीरिक यातना के संबंध में हैं, और आईपीसी की धारा 498-ए का कोई भी तत्व आवेदकों के खिलाफ नहीं बनता है। जहां तक आईपीसी की धारा 323 के तहत आरोप पत्र दाखिल करने का सवाल है, प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता ने स्वयं दिनांक 06.08.2017 की मेडिकल जांच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न की है, जो घटना से काफी पहले की है।

16. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि उसे 06.08.2017 को पीटा गया था और 06.08.2017 को पं. में उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था। दीन दयाल उपाध्याय राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, देहरादून, जहां शिकायतकर्ता ने तारीखों का उल्लेख करते हुए सभी तथ्य बताए हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 की अंगुलियों पर दो खरोंचें हैं, बांह पर दो चोटें हैं, पूरे पेट में दर्द की शिकायत है और प्रतिवादी संख्या 2 की बाएं हाथ की उंगली पर 1 सेमी लंबा घाव है। मेडिकल सर्टिफिकेट में बताई

गई चोटों का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि एफआईआर में कहीं नहीं है कि इस संबंध में उसका मेडिकल कराया गया था।

17. इस न्यायालय के विचार में, आवेदकों के खिलाफ धारा 498-ए और 323 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और इन उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत करना बिना अधिकार के प्रतीत होता है।

18. चूंकि आईपीसी की धारा 498-ए और 323 के तहत कोई भी सामग्री नहीं बनती है, विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने दिमाग का उपयोग किए बिना संज्ञान लेने में घोर अवैधता की है। जहां तक आईपीसी की धारा 420 , 467 , 468 , 471 और 120-बी के तहत समन का सवाल है, एफआईआर में यह नहीं कहा गया है कि आवेदकों ने कभी धोखाधड़ी की है और बेईमानी से प्रतिवादी नंबर 2 को प्रेरित किया है।

19. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एफआईआर और आरोप-पत्र के अवलोकन पर, यह दर्शाया जाएगा कि आईपीसी की धारा 420 , 467 , 468 , 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध एफआईआर की निरंतरता में नहीं हैं।

20. यह मानते हुए कि संस्थान/सोसाइटी से प्रतिवादी नंबर 2 के इस्तीफे के संबंध में आवेदकों द्वारा कोई जाली दस्तावेज प्राप्त किया गया है , इसका मतलब यह नहीं है कि यह 31.12.2017 की एफआईआर की निरंतरता में था। ऐसे साक्ष्य एफआईआर के जारी अपराध की निरंतरता में नहीं हो सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने धारा 323 , 498ए , 467 , 468 , 471 , 120-बी और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।शिकायतकर्ता के आदेश पर आईपीसी की धारा और उसने एफआईआर से परे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। यह सच है कि एफआईआर एक fo"oKkudks'k नहीं है, लेकिन जांच अधिकारी एफआईआर में वर्णित तथ्यों के संबंध में मामले की जांच कर सकता है और जांच के क्षेत्र का पता लगा सकता है, लेकिन ऐसी जांच एफआईआर की सामग्री या किसी अन्य चीज़ तक ही सीमित होनी चाहिए। कोई भी अपराध एफआईआर में दिए गए कथनों की निरंतरता में होता है, न कि एफआईआर के बाद आरोपी द्वारा किए गए अलग-अलग अपराध, यदि कोई हो, के संबंध में।

21. यह एक ऐसा मामला है जहां एफआईआर में ऐसा कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने प्रतिवादी संख्या 2 -नीतू कैंथ के इस्तीफे से संबंधित जाली दस्तावेज हासिल किए हैं। यह शिकायतकर्ता का विशिष्ट मामला है कि उसके पति, अर्थात् परमजीत सिंह सागर ने कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर ले लिए थे। इस प्रकार, कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि शिकायतकर्ता को संस्थान से बाहर निकालने के उद्देश्य से आवेदकों ने जाली दस्तावेज प्राप्त किए हैं। आरोप पत्र और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के अवलोकन से पता चलेगा कि आईपीसी की धारा 323 , 498-ए , 467 , 468 , 471 , 120- बी और 420 में से कोई भी सामग्री नहीं है।आवेदकों के खिलाफ मामला ugha बनता है, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी और प्रलोभन का कोई तत्व नहीं है। किसी भी मामले में,

प्रतिवादी नंबर 2 को संस्थान से निष्कासित कर दिया गया है, तो यह नागरिक विवाद का एक साधारण मामला है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है।

22. इस न्यायालय को यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि जांच अधिकारी ने उन अपराधों के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के साथ खिलवाड़ किया है, जिनका एफआईआर से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए उसने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। . कानून में यह स्थापित स्थिति है कि बाद के अपराध जिसका जांच किए जा रहे अपराध से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उसे उसी अपराध में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा, मामले की जांच करना अंतहीन होगा।

23. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को सम्मन आदेश में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए क्योंकि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने, प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी अदालत का और ऐसे आदेश देना जो किसी दिए गए मामले के तथ्यों के आधार पर इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो। न्यायालय हमेशा न्याय की किसी भी गड़बड़ी पर ध्यान दे सकता है और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसे रोक सकता है । ये शक्तियां संहिता के किसी भी अन्य प्रावधान द्वारा न तो सीमित हैं और न ही इनमें कटौती की गई हैं । हालाँकि, ऐसी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयमपूर्वक और सावधानी से किया जाना चाहिए।

24. फखरुद्दीन अहमद बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात पर विचार करने के बाद। उत्तरांचल राज्य और अन्य (सुप्रा), यह न्यायालय आश्वस्त है कि अपराधों का संज्ञान लेते समय, विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य था कि वह अधिग्रहण पर ध्यान दे और शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर अपना दिमाग लगाए। .

25. एफआईआर की सामग्री को देखने पर, कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि घटना एफआईआर में बताए गए अनुसार हुई थी। इसके अलावा, जांच अधिकारी ने अलग-अलग कोच में जांच की है, जिसे एफआईआर की निरंतरता में नहीं कहा जा सकता है और आईपीसी की धारा 323 , 498-ए , 467 , 468 , 471 , 120-बी और 420 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लेते समय अपना दिमाग नहीं लगाया।

26. रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि एफआईआर गलत बयानों पर दर्ज की गई थी और जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता के कहने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो उसकी जांच के दायरे से बाहर है। इस प्रकार, पूरी जांच को दूषित और आवेदकों को झूठे मामले में फंसाने के लिए किया गया माना जाता है।

27. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि आईपीसी की धारा 420 , 467 , 468 , 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत करना टिकाऊ नहीं है। कानून की नजर में. प्रथम दृष्टया उपरोक्त धाराओं के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए आवेदकों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

28. परिणामस्वरूप, आपराधिक विविध आवेदनों की अनुमति दी जाती है। तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून की अदालत में लंबित आपराधिक मुकदमा संख्या 5910/2018 "राज्य बनाम परमजीत सागर और अन्य" की आपराधिक कार्यवाही और समन आदेश दिनांक 24.11.2018 को रद्द कर दिया गया है ।

(लोकपाल सिंह, जे.) 25.01.2021 नितेश/